न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

शशिकला बनाम रणजीत सुवालका

किस्म मुकदमाः– रिव्यु प्रार्थना–पत्र मिसल नं0 2025/461

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
10/12/2025	विद्वान अधिवक्ता श्री ललित नागर द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी. बाबत रिव्यु किये जाने आदेश दिनांक 26.11.2025 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस न्यायालय हाजा के निर्णय/आदेश दिनांक 26.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यु एवं प्रार्थना–पत्र के एडमिशन पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू किये जाने निर्णय दिनांक 26.11.2025 में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2025 को अपीलांट को एक पक्षीय रूप से सुनकर बिना नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2025 को निरस्त करते हुये एक माह के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को निर्णित करने के आदेश प्रदान किये है। उक्त आदेश फेस ऑफ रिकॉर्ड से ही त्रुटि पूर्ण है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कर उसका अवलोकन किये बिना ही आदेश दिनांक 26.11.2025 पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के विरूद्ध होने से रिव्यू किये जाने योग्य है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता के लिये रणजीत सुवालका बनाम कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा व अन्य के नाम से प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.06.2025 को इस आशय का स्थगन आदेश पारित किया गया कि "अप्रार्थी/अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 879, 855, 880 व 881 वाके ग्राम देवलीअरब, तह० लाड़पुरा, जिला कोटा से प्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं करें।"	

उसके बाद अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये और बावजूद सूचना अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे और ऐसी स्थिति में अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तत्पश्चात् अपीलांट/अप्रार्थी के द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के बाद बहस एक पक्षीय प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई होनी थी। इसी दौरान अपीलांट/अप्रार्थी ने स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2025 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर एक पक्षीय आदेश पत्रावली तलब करवाये बिना स्थगन आदेश दिनांक 06.06.2025 को निरस्त करवाने के सम्बंध में माननीय न्यायालय के यहां से जारी करवा लिया जबकि अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय के यहां निर्णय होने के बाद अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतिम निर्णय होना था, परंतु अपीलांट ने इस तथ्य को छुपाकर और जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के तथ्य को छुपाकर आदेश दिनांक 26.11.2025 पारित करवा लिया है। उक्त आदेश माननीय न्यायालय से तथ्य छुपाकर पारित किये जाने और वास्तविक तथ्यों के आधार पर रिव्यू किये जाने योग्य है। अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करने के बाद, भी स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतिम निर्णय पारित नहीं कर अंतरिम आदेश को बढ़ाये जाने का बनावटी व मिथ्या आरोप लगाते हुये माननीय न्यायालय से आदेश दिनांक 26.11.2025 पारित करवाया है जबकि अपीलांट ने जवाब स्थगन ही प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतिम निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता था। इस प्रकार अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति को छिपाकर आदेश दिनांक 26.11.2025 पारित करवा लिया, जो रिव्यू किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 879 व 855 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि है। खसरा नम्बर 880 व 881 कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की खातेदारी में त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज चली आ रही है। वास्तविकता में सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त भूमि खसरा नम्बर 880 व 881 अपीलांट की खातेदारी की रही है। इसीलिये दुरूस्ती का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, परंतु माननीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किये बिना अपीलांट की बात पर विश्वास कर त्रुटि पूर्ण आदेश दिनांक 26.11.2025 पारित किया है. जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से रिव्यू किये जाने योग्य है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश पारित करने

के पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है और सम्बन्धित दस्तावेजात का अवलोकन किया जाना आवश्यक था। अपीलांट उक्त त्रुटि पूर्ण आदेश दिनांक 26.11.2025 की आड़ में रेस्पोडेन्ट क्रम–1 की खातेदारी की भूमि जो कि वर्तमान में त्रुटि पूर्ण रूप से कोटा विकास प्राधिकरण के नाम पर खसरा नम्बर 880 व 881 दर्ज चली आ रही है, पर जबरन ताकत के बल पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करते हुये कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में पत्रावली तलब कर आदेश दिनांक 26.11.2025 को रिव्यू किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रकरण की पत्रावली तलब कर आदेश दिनांक 26.11.2025 को रिव्यू किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किए जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया व अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यू निर्णय दिनांक 26.11.2025 का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण रिव्यु का है अतः सी.पी.सी. का आदेश 47 अवलोकनीय है जो इस प्रकार है– "Application for review of judgment.-(1) Any person considering himself aggrieved- (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or (c) by a decision on a reference from a Court of small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment of the Court which passed the decree or made the order. (2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment

notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review. [Explanation. The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for review of such judgment.]"अतः आदेश 47 के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा तब ही किया जाना उचित है जब रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि होना प्रकट होता हो। हमने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.11.2025 का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.11.2025 को पारित किया गया है। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 26.11.2025 में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने का आदेश अंकित किया है साथ ही प्रकरण के अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का 30 दिवस में अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 में अभिलेख के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। हमारे मत में किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की समीक्षा तब ही किया जाना उचित है जब रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि होना प्रकट होता हो। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2749–2750/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 उद्धृत किया है जिसे अनुसार "Civil procedure Code, 1908 order 47, rule 1- Review- Scope of- Appellate powers and review powers are well defined- Power of review is very limited and may be exercised only if there is mistake or error on the face of record- Review petition cannot be decided like regular intra court appeal- What was not decided in appeal by division bence could not be decided by Division Bench while deciding

review application." चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय 26.11.2025 में अभिलेख के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा होता है। हमारे मत में रिव्यु का दायरा बहुत सीमित है तथा रिव्यु केवल रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर ही स्वीकार किया जाना कानूनन उचित है। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली में संलग्न सभी दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर विधि अनुसार प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.11.2025 पारित किया गया है तथा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.11.2025 में कोई एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। प्रार्थना–पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा